रीडर

10/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील
गैर सायल की ओर से पूर्व में T.I का जवाब
पेश किया जा चुका है। वकील उभय पक्ष ने
बहस प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC की बहस
के साथ मूल T.I प्रा० पत्र की बहस की गई।
वकील गैर सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आदेश
7 नियम 11 CPC का निस्तारण मूल दावे की पत्रावली
मे किया जाकर गैर सायल का प्रा० पत्र आदेश 7
नियम 11 CPC खारीज किया गया है। इस कारण
T.I मे प्रस्तुत प्रा० पत्र आदेश 7 R 11 खारीज किया
जाता है। वकील उभय पक्ष द्वारा मूल T.I प्रा० पत्र
पर पेश की गई बहस पर मनन किया गया
पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक
राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार संवत
2064-67 बाके ग्राम रिवाली के अनुसार
विवादित आ० भूमि ख० न० 1921 रकबा 0.06
हेक्टर सायल / गैर सायल की सह खातेदारी
होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित होता है। जिस
के कारण उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक
है। अत: मूल दावे के निस्तारण तक उभय पक्ष
को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला–स०मा०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	कि ग्राम रिवाली तहसील बामनवास के आ: ख.न 1921 रकबा 0.06 हैक्टर के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न तो स्वंय करे। न किसी अन्य से करावे। मूल T.I पत्रावली दावे की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। T.I प्रार्थना पत्र केवल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। यह निर्णय आज दिनांक 10-10-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला-स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.11.21 14:45:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: